



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264546
CG-DL-E-11072025-264546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3058]
No. 3058]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3128(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के उप-खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद् द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को या इस तारीख से शासकीय राजपत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से की गई या किए जाने से छूट गई बातों के सिवाय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 02 नवंबर, 2020 की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना [अधिसूचना संख्या 89/2020/फा.सं. 370133/16/2020-टीपीएल] संख्या का. आ. 3952 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभ के पैराग्राफ में, “31 मार्च, 2025” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2030” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 74/2025/फा.सं. 500/विविध/एस10(23चड.)/एफटीएंडटीआर-II]

बहि तेलंगा, अवर सचिव

नोट: यह मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 02 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3952 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 25 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या का. आ. 345 (अ) और दिनांक 18 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2830 (अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3128(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (b) of *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) [Notification No.89/2020/F.No.370133/16/2020-TPL] number S.O. 3952(E), dated the 2nd November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done on and from the 1st April, 2025 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, for the figures, letters and words “31st day of March, 2025”, the figures, letters and words “31st day of March, 2030” shall be substituted.

[No. 74/2025/F. No. 500/Misc./S10(23FE)/FT&TR-II]

BAHNI TELENGA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 3952(E), dated the 2nd November, 2020 and subsequently, amended *vide* notification number S.O.345(E), dated the 25th January, 2022 and S.O. 2830(E), dated the 18th July, 2024.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264547
CG-DL-E-11072025-264547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3059]
No. 3059]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3129(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के उप-खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद् द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को या इस तारीख से शासकीय राजपत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से की गई या किए जाने से छूट गई बातों के सिवाय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 अप्रैल, 2021 की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना [अधिसूचना संख्या 33/2021/फा.सं. 370142/6/2021-टीपीएल] संख्या का. आ. 1661 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभ के पैराग्राफ में, “31 मार्च, 2025” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2030” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 75/2025/फा. सं. 500/विविध/एस10(23चड.)/एफटीएंडटीआर-II]

बहि तेलंगा, अवर सचिव

नोट: यह मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 19 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1661(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 18 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2831(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3129(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (b) of *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) [Notification No. 33/2021/F. No. 370142/6/2021-TPL) Number S.O. 1661(E), dated the 19th April, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done on and from the 1st April, 2025 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, for the figures, letters and words “31st day of March, 2025”, the figures, letters and words “31st day of March, 2030” shall be substituted.

[No. 75/2025/F. No.500/Misc./S10(23FE)/FT&TR-II]

BAHNI TELENGA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1661(E), dated the 19th April, 2021 and subsequently amended vide notification number S.O. 2831(E), dated the 18th July, 2024.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264548
CG-DL-E-11072025-264548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3060]
No. 3060]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3130(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को या इस तारीख से शासकीय राजपत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से की गई या किए जाने से छूट गई बातों के सिवाय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अप्रैल, 2021 की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना [अधिसूचना संख्या 34/2021/फा.सं. 370142/39/2020-टीपीएल] संख्या का. आ. 1672 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभ के पैराग्राफ में, “31 मार्च, 2025” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2030” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 76/2025/फा. सं. 500/विविध/एस10(23चड.)/एफटीएंडटीआर-II]

बह्नि तेलंगा, अवर सचिव

नोट: यह मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 22 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1672(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 18 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2832(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3130(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (c) of *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) (Notification No. 34/2021/F.No. 370142/39/2020-TPL) number S.O. 1672(E), dated the 22nd April, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done on and from the 1st April, 2025 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, for the figures, letters and words “31st day of March, 2025”, the figures, letters and words “31st day of March, 2030” shall be substituted.

[No. 76 /2025/F.No. 500/Misc./S10(23FE)/FT&TR-II]

BAHNI TELENGA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1672(E), dated the 22nd April, 2021 and subsequently amended *vide* notification S.O. number 2832(E), dated the 18th July, 2024.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264550
CG-DL-E-11072025-264550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3077]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3077]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3147(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद् द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को या इस तारीख से शासकीय राजपत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से की गई या किए जाने से छूट गई बातों के सिवाय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 03 अगस्त, 2021 की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना [अधिसूचना संख्या 84/2021/फा.सं. 370142/13/2021-टीपीएल (भाग-1)] संख्या का. आ. 3114 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभ के पैराग्राफ में, “31 मार्च, 2025” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2030” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 93/2025/फा. सं. 500/विविध/एस10(23चड.)/एफटीएंडटीआर-II]

बहि तेलंगा, अवर सचिव

नोट: यह मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 03 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3114(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 18 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2849(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3147(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (c) of *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) [Notification No. 84/2021/ F. No. 370142/13/2021-TPL (Part-1) number S.O. 3114(E), dated the 3rd August, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done on and from the 1st April, 2025 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, for the figures, letters and words “31st day of March, 2025”, the figures, letters and words “31st day of March, 2030” shall be substituted.

[No. 93 /2025/F. No. 500/Misc./S10(23FE)/FT&TR-II]

BAHNI TELENGA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 3114(E), dated the 3rd August, 2021 and subsequently amended vide notification number S.O. 2849(E), dated the 18th July, 2024.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264551
CG-DL-E-11072025-264551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3078]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3078]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3148(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद् द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को या इस तारीख से शासकीय राजपत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से की गई या किए जाने से छूट गई बातों के सिवाय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 16 सितंबर, 2021 की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना [अधिसूचना संख्या 111/2021/फा.सं. 370142/40/2021-टीपीएल] संख्या का. आ. 3800 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभ के पैराग्राफ में, “31 मार्च, 2025” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2030” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 94/2025/फा.सं. 500/विविध/एस10(23चड.)/एफटीएंडटीआर-II]

बहि तेलंगा, अवर सचिव

नोट: यह मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 16 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3800(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 18 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2850(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (c) of *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) [Notification No. 111/2021/ F. No. 370142/40/2021-TPL] number S.O. 3800(E), dated the 16th September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done on and from the 1st April, 2025 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, for the figures, letters and words “31st day of March, 2025”, the figures, letters and words “31st day of March, 2030” shall be substituted.

[No. 94/2025/F.No. 500/Misc./S10(23FE)/FT&TR-II]

BAHNI TELENGA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 3800(E), dated the 16th September, 2021 and subsequently amended vide notification number S.O. 2850(E), dated the 18th July, 2024.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264549
CG-DL-E-11072025-264549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3081]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3081]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3151(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद् द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को या इस तारीख से शासकीय राजपत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से की गई या किए जाने से छूट गई बातों के सिवाय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 02 नवंबर, 2021 की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना [अधिसूचना संख्या 130/2021/फा.सं. 370142/50/2021-टीपीएल] संख्या का. आ. 4592(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभ के पैराग्राफ में, “31 मार्च, 2025” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2030” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 97/2025/फा.सं. 500/विविध/एस10(23चड.)/एफटीएंडटीआर-II]
बहि तेलंगा, अवर सचिव

नोट: यह मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 02 नवंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का. आ. 4592(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 18 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2853(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3151(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (c) of *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) [Notification No. 130 /2021/ F. No. 370142/50/2021-TPL] number S.O. 4592(E), dated the 2nd November, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done on and from the 1st April, 2025 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, for the figures, letters and words “31st day of March, 2025”, the figures, letters and words “31st day of March, 2030” shall be substituted.

[No. 97/2025/F.No. 500/Misc./S10(23FE)/FT&TR-II]

BAHNI TELENGA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 4592(E), dated the 2nd November, 2021 and subsequently amended vide notification number S.O. 2853(E), dated the 18th July, 2024.